न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

करण संख्या 129 / 2020 (नया) 81 / 2014 (पुराना) राजस्व वाद

उनवान

मुरली मनोहर आत्मज श्री वल्लभ जी रांदड उम्र बालिग निवासी 42, कांचीपुरम, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा

श्याम सुन्दर आत्मज प्रभुलाल जी सोमाणी उम्र बालिग निवासी सज्जन विलास, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रामअवतार आत्मज श्री घीसालाल जी माहेश्वरी उम्र बालिग निवासी बी 79 कमला विहार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

मोहन वल्द मगना गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

कूका वल्द मगना गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बगतावर वल्द मगना गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

नारायण वल्द मगना गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रतन वल्द मगना गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

नारायण वल्द हीरा गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

मु0 नन्दु विधवा हीरा गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

भूरा मुतवन्ना प्रताप जी गाडरी उम्र बालिग निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

शैलेन्द्र कुमार वल्द शान्तिलाल जी हींगड़ उम्र बालिग निवासी ई 14 वसन्त विहार, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

थतः–अधिवक्ता वादीगण संख्या 01 से 03 श्री एम एल बापना

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 05 श्री हरदयाल वर्मा

–: वादपत्र – अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

–: निर्णय :–

दिनांक 13.05.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए द्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पांसल तह0 व जिला भीलवाड़ा की जी नम्बर 612 रकबा 05 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर त दर्ज रेकार्ड है। वादीगण के पूर्व खातेदार मेघा मु0 खमाण गाडरी का हिस्सा जरिये कृत विक्रय पत्र से कय किया। मेघा द्वारा अपने हिस्से का कब्जा वादीगण को सुपूर्द कर । मेघा द्वारा ही अन्य खातेदारों के साथ आपसी रजामंदी से विभाजन कर मौके पर डरी वाल का निर्माण करवा रखा है। वर्तमान मे मेघा के बजाय वादीगण काबिज है। अतः गण का वाद स्वीकार करवाया जाकर ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 612 रकबा 5 बीघा बिस्वा भूमि की विभाजन की डिकी प्रदान कराई जाए।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। दीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री दिनांक 27.07.2016 को जारी की ई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 61/2014 निर्णय एवं क्री दिनांक 27.07.2016 की अपील प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 05 की ओर से न्यायालय -प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की ई, जिसके प्रकरण संख्या 55/2017 दर्ज होकर दिनांक 27.07.2019 को निर्णय पारित हुआ। समें अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं तिम डिक्री दिनांक 27.06.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित र निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर टवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना के तहत यार करवाया जाकर उसके उपरान्त विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें।

प्रकरण अपील न्यायालय से प्राप्त होकर दिनांक 14.12.2020 को पंजीबद्ध किया या। उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किए। तहसीलदार भीलवाड़ा को अपील न्यायालय के र्देशानुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 1 के तहत विभाजन प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्रमांक/न्यायालय/2021/1064 दिनांक 19.03. 21 से जारी किया गया।

प्रकरण में अपीलार्थी प्रतिवादीगण मोहन, रतन, कुका, नारायण पिता मगना गाडरी वासी पांसल ने दिनांक 22.06.2023 को एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि के पर पक्षकारान ने पूर्व में डिक्री अनुसार अपने-अपने हिस्से को विकसीत कर लिया है। पीलार्थी प्रतिवादीगण ने भी अपने-अपने हक हिस्से को विकसीत कर लिया है। अपीलाधीन ादेश की पालना में दोबारा बटवाड़ा प्रस्ताव मगवा कर नये सिरे से बटवाड़ा कराना नहीं ाहते है। पूर्व में डिक्री अनुसार 19 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम अलग से आराजी नम्बर 2/8 तरमीम कर दी गई है, जो वादीगण मूरली मनोहर, रामावतार, श्यामसुन्दर के रखी ावे। हम प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण जहां काबिज है, उसीसे हम संतुष्ट है। पूर्व के निर्णय व क्री बटवाड़े से संतुष्ट है, आगे कोई इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते है। अपीलार्थी की हचान अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई।

अतः अपीलार्थी प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक .07.2016 के अनुसार अंतिम डिक्री यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत पीलार्थी प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2023 के तहत इस प्रकरण में कार्यवाही माप्त की जाती है। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार भीलवाड़ा को पत्र जारी करे। प्रकरण सल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा